फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर

पेवरलाल बनाम बंशीलाल वगैरह

मुकदमा संख्या /वर्ष पं.मु.नं. 8/2021 /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण हाजिर। वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी। सहायक कलक्टर जयपुर के आदेश 883 दिनांक 16/4/22 के द्वारा वाद में रिमांड प्राप्त हुई। जिसमें मामले मौजूदा नैसर्गिक प्रवाह विभाजीत होने कारण अनिर्णीत (Non Ripe) मानकर एसे में इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही उपेक्षित नहीं पत्रावली का पठन किया। वकील अप्रार्थीगण की बहस/प्रारंभिक का अध्ययन करने पर इस नतीजे पहुंचे कि उभय विवादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम चाकसू तहसील व जिला जयपुर की ख.नं. 50 (2.3522 है०) खाता संख्या 47, पुराना खाता संख्या-47 मुमकिन किस्म गैरमुमकिन लगान ख.नं. 67 गैरमुमकिन 3.1237 है०, ख.नं. 68 में वाकिए निर्णयतलब अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड में मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली को अगले कार्यवाही नियमानुसार हेतु सीविल न्यायालय हवाले किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16/4/22 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:43:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम